भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2485

03 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पौष्टिक भोजन का वितरण

2485. श्रीमती कविता सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त कुपोषण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से चावल और गेहूं के साथ-साथ पौष्टिक भोजन वितरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिहार और ओडिशा जैसे गरीब राज्यों को इस तरह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है ताकि योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): देश में रक्तल्पता और सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी के निवारण के लिए, भारत सरकार ने 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित पॉयलट योजना को अनुमोदित किया है जो 174.64 करोड रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2019-20 के आरंभ से 3 वर्षों की अवधि के लिए है। यह पॉयलट योजना 15 राज्यों के 15 जिलों पर केंद्रित है जिसमें 1 जिला प्रति राज्य को वरीयता दी जाएगी। पन्द्रह राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने इसके लिए सहमति दी है और पॉयलट योजना के क्रियान्वयन के लिए उनके संबंधित जिलों (1 जिला प्रति राज्य) की पहचान की है।

अब तक, छह राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने अपन चयनित जिलों में पॉयलट योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। इसके अलावा, चार और राज्यों ने पॉयलट योजना के तहत पौष्टिक चावल के वितरण की अपेक्षित प्रक्रियाए पूरी कर ली हैं ।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन और वितरण के लिए इकोसिस्टम को धीरे-धीरे सशक्त बनाने से, भारतीय खाद्य निगम एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न (एमडीएम) योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की खरीद और आपूर्ति प्रबंधन भी शामिल है। अब तक, भारतीय खाद्य निगम ने 6.60 लाख टन फोर्टिफाइड चावल की खरीद की है।

(ग): ओडिशा राज्य सरकार ने सहमति दी है और चावल के फोर्टिफिकेशन संबंधी पॉयलट योजना के क्रियान्वयन के लिए मलकानगिरि जिले की पहचान की है। तथापि, बिहार सरकार ने पॉयलट योजना के क्रियान्वयन के लिए इसकी सहमति नहीं दी है।

*****